104

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर [म०प्र०]

निगरानी-939-II-16

शेषमणि कुशवाहा तनय श्री रामस्वरूप कुशवाहा निवासी ग्राम चौका सोन वर्षा तहसील मऊगंज जिला रीवा [म०प्र०] वर्तमान सरपंच ग्राम पंचायत देवतालाब जनपद पंचायत मऊगंज जिला रीवा [म०प्र०]----------आवेदक

वीरेन्द्र कुमार मिश्र एडवो० को आज दि. 4-8-16

क्लर्क ऑफ कोर्ट

बनाम

1- अनिल तोमर पिता लालमणि तोमर निवासी ग्राम देवतालाब तहसील मऊगंज जिला रीवा [म०प्र०]

2• ब्रम्ह प्रकाश शुक्ला तनय रामबहोर शुक्ला निवासी ग्राम देवतालाब तहसील मऊगंज जिला रीवा [म०प्र०]

3• कन्हैया लाल दीक्षित पिता श्री संदीप दीक्षित निवासी ग्राम देवतालाब तहसील मऊगंज जिला रीवा [म०प्र०] -----अनावेदक गण

याचिका वावत् माननीय न्यायालय में विचाराधीन निगरानी प्रकरण क्रमांक 1980-द्वितीय-16 के निगरानी प्रकरण के अंतिम निराकरण किये जाने के साथ ही एक ही वाद बिन्दु एवं विवादक तथ्य से संबंधित न्यायालय कलेक्टर रीवा के प्रकरण क्रमांक 04/अ-89/मूल/2015-16 कन्हैया लाल दीक्षित तनय सदीप दीक्षित बनाम शेषमणि कुशवाहा तनय रामस्वरूप कुशवाहा सरपंच ग्राम पंचायत देवतालाब एवं प्रकरण क्रमांक 0/अ-89/15-16 ब्रम्ह प्रकाश शुक्ला तनय रामबहोर शुक्ला निवासी ग्राम देवतालाब बनाम शेषमणि कुशवाहा सरपंच देवतालाब

वीरेन्द्र कुमार मिश्र
एडवोकेट
रीवा
4-8-16

शेषमणि कुशवाहा

एवं न्यायालय अपर कलेक्टर रीवा के प्रकरण क्रमांक 7-अ-89/14-15 अनिल तोमर तनय लालमणि तोमर बनाम शेषमणि कुशवाहा सरपंच देवतालाब के प्रकरण को मगवाया जाकर एक साथ विचाराधीन निगरानी के साथ निराकरण किये जाने हेतु ।

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 30-32 म0प्र0भू0रा0संहिता एवं धारा 10 व्य0प्र0सं0 1908

मान्यवर,

याचिका के आधार निम्न है :-

1. यह कि आवेदक के विरूद्ध न्यायालय अपर कलेक्टर रीवा के न्यायालय में दिनेश कुमार गुप्ता तनय रामसुदर्शन गुप्ता निवासी ग्राम चौका सोनवर्षा तहसील मऊगंज के द्वारा एक याचिका अन्तर्गत धारा 36 (1) एवं (2) के तहत दायर किया था । जो याचिका क्रमांक 11बी/121/15-16 पर पंजीबद्ध की गयी थी जिस याचिका में आवेदक के द्वारा प्रचलनशीलता के सम्बन्ध में इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था कि धारा 36 उपधारा 1,2 में प्रस्तुत याचिका इस न्यायालय के सुनवाई क्षेत्राधिकार में न होने से प्रचलनशील नही है। उक्त याचिका को खारिज कर दिया जाय । अपर कलेक्टर रीवा ने आवेदक के आपत्ति आवेदन पत्र को दिनांक 3-11-2015 को इस आधार पर खारिज किया कि प्रस्तुत याचिका प्रचलनशील है । उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदक के द्वारा न्यायालय अपर कमिश्नर रीवा के समक्ष अपील दायर किया , पंचायत राज अधिनियम के तहत अपर कमिश्नर ने आवेदक की अपील प्रकरण क्रमांक 54/पुर्नविलोकन/15-16 पर दर्ज की गयी और दिनांक 24-5-2016 को इस आशय का आदेश पारित किया गया कि अपर कलेक्टर रीवा का पारित आदेश दिनांक 3-11-15

शेषमणि कुशवाहा

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक विविध 9039/दो/16 **जिला रीवा**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
12.01.18	आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। अनावेदक अभिभाषक श्री आर0एस0सेंगर उपस्थित। अनावेदक अभिभाषक द्वारा उपस्थित होकर तर्क दिया गया कि उक्त प्रकरण पंचायत राज अधिनियम के अंतर्गत है तथा प्रकरण में आवेदक की मृत्यु हो गई है, जो सरपंच के पद पर पूर्व में पदस्थ था। अतः प्रकरण में आवेदक की मृत्यु होने तथा राजस्व मण्डल को क्षेत्राधिकार नहीं होने से प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। पक्षकार सूचित हो। आदेश की प्रति अभिलेख सहित अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे। सदस्य	